अंक 33 । संख्या 11 । नवंबर 2026

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन



एनएचआरसी, भारत का 33वाँ स्थापना दिवस | 'जीवन के अमृत के रूप में जल' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन | जन सुनवाई एवं शिविर बैठक

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 । संख्या 11 । नवंबर 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री पीयूष गोयल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।



"राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा आयोजित एक चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चे अपनी चित्रकलाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हुए"



"भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री पीयूष गोयल के साथ"

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

1 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

प्रतिवेदन

2 एनएचआरसी, भारत का 33वाँ स्थापना दिवस

परामर्श

5 'जीवन के अमृत के रूप में जल' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जन सुनवाई एवं शिविर बैठक

लेख

10 विधवापन एवं आर्थिक असुरक्षा : मानव अधिकरों का परिप्रेक्ष्य

परामर्शिकाएँ

14 कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा

14 महिला बंदियों एवं उनके बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण

महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप

15 स्वतः संज्ञान

17 राहत हेतु अनुशंसाएँ

17 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

18 केस स्टडी

19 मौके पर पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

20 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य द्वारा दौरे

20 विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटरों के दौरे

क्षमता निर्माण

24 सहयोगात्मक जागरूकता पहल

24 ज्ञानार्जन दौरे

26 **अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत**

पुरस्कार

26 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ऑनलाइन मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी-2026 के विजेताओं की घोषणा**

26 **राज्य मानव अधिकार आयोगों की गतिविधियाँ**

28 **संक्षेप में समाचार**

29 **आगामी कार्यक्रम**

29 **अक्टूबर 2026 में प्राप्त शिकायतें**

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
@NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

अक्टूबर 2026 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के लिए महत्त्वपूर्ण गतिविधियों एवं सहभागिताओं का माह रहा। इस माह आयोग ने अपना 33वाँ स्थापना दिवस मनाया तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आयोग के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी उपस्थिति ने इस अवसर की महत्ता को और बढ़ाया तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता के महत्त्व को पुनः रेखांकित किया।

इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर 'जीवन के अमृत के रूप में जल : जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस प्रतिबद्धता को एक महत्त्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वाला रहा। इस सम्मेलन में सुरक्षित एवं पर्याप्त जल तक पहुँच को केवल विकास संबंधी विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा तथा मानव अधिकारों की प्राप्ति के एक अनिवार्य तत्व के रूप में रेखांकित किया गया। इन आयोजनों की विस्तृत रिपोर्ट इस समाचार-पत्र के वर्तमान अंक में प्रकाशित की गई है।

इस माह संस्थागत कार्रवाई, नीतिगत हस्तक्षेपों, जन-जागरूकता तथा हितधारकों के साथ सहभागिता के माध्यम से मानवीय गरिमा की रक्षा के महत्त्व पर विशेष बल दिया गया। आयोग की गतिविधियों से मानव अधिकार संबंधी चिंताओं के समाधान तथा उनके संरक्षण के तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई। आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप विविध लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कारागार, हैदराबाद में एक जेंडर-न्यूट्रल (लिंग-तटस्थ) प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

आयोग ने 'कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' तथा 'महिला बंदियों एवं उनके बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण' विषयों पर दो महत्त्वपूर्ण परामर्शिकाएँ भी जारी कीं। इन परामर्शिकाओं में संस्थागत जवाबदेही, निवारक उपायों तथा संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशील एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

समाचार-पत्र के इस अंक में 'विधवापन एवं आर्थिक असुरक्षा : मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य' विषय पर एक लेख भी प्रकाशित किया गया है। आयोग सदैव सभी व्यक्तियों और विशेष रूप से विधवाओं सहित संवेदनशील वर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों से जमीनी वास्तविकताओं का आकलन करने तथा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त हुए।

माईगव (MyGov) मंच पर आयोजित ऑनलाइन मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी 2026 मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं समझ को, विशेषकर युवाओं के बीच, प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण पहल रही। इस प्रश्नोत्तरी को देशभर से अत्यंत उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस आयोजन की संक्षिप्त रिपोर्ट भी इस अंक में प्रकाशित की गई है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा अन्य नियमित स्तंभ देशभर में मानव अधिकार संरक्षण के ढाँचे को सुदृढ़ करने के प्रयासों का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। माह के दौरान प्राप्त शिकायतें भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की चिंताओं एवं मुद्दों की जानकारी प्रदान करती हैं।

मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहभागिता के माध्यम से आयोग की गतिविधियाँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी विस्तारित हुईं। यह सहभागिता मानव अधिकार संस्थाओं के बीच सहयोग, संवाद तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के महत्त्व को रेखांकित करती है।

मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन एक सतत प्रयास है, जिसके लिए संस्थाओं, सरकारों, नागरिक समाज तथा नागरिकों के बीच सतर्कता, तत्परता एवं सहयोग आवश्यक है।

किसी देश का मानव अधिकार ढाँचा केवल उसके कानूनों एवं संस्थाओं की मजबूती से ही नहीं, बल्कि इस क्षमता से भी परिलक्षित होता है कि वह गरिमा, न्याय एवं समानता के सिद्धांतों को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता में किस प्रकार परिवर्तित कर पाता है। आशा है कि पाठकों को इस अंक की सामग्री रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगेगी।

पीयूष गोयल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिवेदन

एनएचआरसी, भारत का 33वाँ स्थापना दिवस

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। आयोग ने अपने 33वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन किया। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रासासुब्रमण्यन ; सदस्यगण, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव, श्री पीयूष गोयल उपस्थित थे।

इस समारोह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व महासचिव, राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधि, विशेष मॉनिटर एवं विशेष प्रतिवेदक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, मानव अधिकार रक्षक, शोधकर्ता तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक से व्यापक वादे किए हैं तथा गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों की गारंटी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित ये शब्द अब तक लिखे गए उत्कृष्टतम शब्दों में से हैं और इनका अनुपालन प्रतिदिन जमीनी स्तर पर, हवालात में, अस्पताल के वार्ड में तथा सड़क के अंतिम छोर पर स्थित गाँव में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्षों के कार्यों की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि कभी-कभी लोग यह कहते हैं कि "आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसका एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक क्षण के लिए समाज के विशाल एवं अशांत सागर के किनारे दृढ़तापूर्वक खड़े एक अकेले प्रकाश स्तंभ की कल्पना कीजिए। उसका उद्देश्य अन्याय की लहरों को रोकना नहीं, बल्कि अंधकार में भटक रहे लोगों को मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश प्रदान करना है।" उन्होंने कहा कि मानव अधिकार आयोगों को शिकायतों की जाँच करनी चाहिए, व्यवस्थागत विफलताओं की पहचान करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मुद्दे, जो अन्यथा अनदेखे रह सकते हैं, संस्थागत स्तर पर संज्ञान में लाए जाएँ। नागरिक समाज जमीनी वास्तविकताओं को सामने लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव एवं सहयोग के माध्यम से योगदान दे सकती हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इसलिए किसी मानव अधिकार संस्था की वास्तविक कसौटी केवल उसके द्वारा निस्तारित किए गए मामलों की संख्या नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या उसकी आवाज उन लोगों तक पहुँचती है, जो अपनी बात स्वयं रखने में सबसे कम सक्षम हैं। यहीं पर मानव अधिकार आयोगों, विशेष रूप से राज्य मानव अधिकार आयोगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में मानव अधिकारों का वास्तविक अनुभव प्रायः राजधानी में नहीं, बल्कि किसी दूरस्थ गाँव, किसी विशेष मोहल्ले अथवा यहाँ तक कि किसी परिवार के भीतर निर्धारित होता है। राष्ट्रीय आयोग मानक निर्धारित कर सकता है तथा व्यापक प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन राज्य आयोग प्रायः उन स्थानों के अधिक निकट होते हैं, जहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। वे शिकायत को उसी भाषा में सुन सकते हैं, जिसमें वह दर्ज कराई जाती है, उस स्थान तक पहुँच सकते हैं जहाँ उल्लंघन हुआ है तथा उन स्थानीय परिस्थितियों को समझ सकते हैं



▶ "भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी तथा महासचिव श्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे"



▶ "भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुनते हुए गणमान्य अतिथिगण"

जिनमें यह घटना घटित हुई है। यह निकटता उन्हें न केवल प्रशासनिक दृष्टि से एक लाभ प्रदान करती है, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी भी सौंपती है, जो लोगों के जीवन में व्यापक एवं निर्णायक परिवर्तन ला सकती है।

उन्होंने आयोग द्वारा स्थापना दिवस समारोह के साथ 'जीवन के अमृत के रूप में जल' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जल के अधिकार को केवल वर्तमान पीढ़ी के अधिकार के रूप में ही नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति एक दायित्व के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि भारत ने स्वयं पेयजल तक पहुँच का विस्तार करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल भी शामिल है। इस प्रगति की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अब अगला प्रश्न और अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्या परिवार को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित, विश्वसनीय एवं पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है? इसलिए, "सरकार का दायित्व है कि वह उन व्यवस्थाओं का निर्माण एवं रखरखाव करे, जिनके माध्यम से लोगों तक जल पहुँचता है। जब संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के मोबाइल एप्लीकेशन के शुभारंभ तथा आयोग के अभिलेखों के डिजिटलीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऐप आयोग को उन लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाता है, जिन्हें परंपरागत रूप से औपचारिक संस्थाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती रही है।

इससे पूर्व, स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि "भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद देश का सबसे महत्त्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए"

जीवंत पद बन गया है। साथ ही, यह देश का सबसे संवेदनशील पद भी है, जिसे प्रतिदिन, बल्कि प्रत्येक क्षण अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है और यह परीक्षा हमेशा पवित्र आत्माओं द्वारा ही नहीं ली जाती।"

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि "इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि आज की दुनिया रहने के लिए सौ वर्ष पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थान बन गई है। लेकिन इसके साथ ही, आज हमारे सामने मौजूद चुनौतियाँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल हैं। इसलिए, समय की माँग है कि विश्वभर की मानव अधिकार संस्थाएँ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए स्वयं को नए सिरे से विकसित एवं परिवर्तित करें।"

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि विश्व की सबसे गरीब आधी आबादी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के केवल 14 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, जबकि विश्व के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोग कुल उत्सर्जन के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि जलवायु और संपत्ति का आपस में इतना गहरा संबंध है, क्योंकि मूल रूप से इन दोनों का उद्गम एक ही स्रोत से जुड़ा है, जिसे जीवाश्म पूँजीवाद कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन पिछले दो शताब्दियों में मानवता की असाधारण प्रगति का स्रोत रहे हैं, लेकिन साथ ही आज हमारे सामने मौजूद असाधारण समस्याओं का कारण भी हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले तक मानव अधिकार संबंधी मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः द्विआयामी होता था, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को देखा जाता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। विशेष रूप से डिजिटल क्रांति के बाद गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है। आज डिजिटल दुनिया में लोगों की राय को प्रभावित किया जा सकता है, उनकी विचार-प्रक्रिया को दिशा दी जा सकती है तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। इसलिए, विशेष रूप से जब हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो यह समय की माँग है कि हम नई चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नए सिरे से तैयार करने, मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने तथा अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्वयं में आवश्यक सुधार लाने का संकल्प लें।

इससे पूर्व, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि आयोग कानून एवं संविधान के अनुरूप गरिमा एवं समानता के अधिकार सहित सभी के मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 33 वर्षों के कार्यकाल में कुछ उतार-चढ़ाव अवश्य आए होंगे, लेकिन आयोग मानव अधिकारों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध रहा है। आयोग ने अपनी जन सुनवाईएवं शिविर बैठकों के माध्यम से मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के द्वार तक पहुँचकर अपनी पहुँच एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि मानव अधिकारों की अवधारणा प्राचीन भारतीय सभ्यता में गहराई से निहित है, जिसकी झलक देश के संविधान में भी दिखाई देती है। ऋग्वेद एवं उपनिषदों का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के प्राचीन धर्मग्रंथों ने हमें पारस्परिक सम्मान के साथ मिल-जुलकर रहने तथा संवाद एवं सामूहिक शक्ति के माध्यम से सभी की मानवीय गरिमा एवं कल्याण की रक्षा करने का मार्गदर्शन दिया है। इसलिए, उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए तथा बालिकाओं, बच्चों एवं महिलाओं सहित अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए समान भागीदार के रूप में मिलकर कार्य करना चाहिए।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री पीयूष गोयल ने जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के विभिन्न आयामों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ मानव अधिकारों से जुड़े विषय निरंतर विकसित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एवं डिजिटल दुनिया नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने 33वें स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत आयोग 'जीवन के अमृत के रूप में जल : जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल तक पहुँच, जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, जल निकायों के पुनरुद्धार, सामुदायिक सहभागिता तथा जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता जैसे विषयों के मानव अधिकार संबंधी आयामों पर विचार-विमर्श करना तथा इस संबंध में सार्थक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना है।



▶ "समारोह में उपस्थित खचाखच भरा हुआ सभागार एवं बड़ी संख्या में भाग लेते हुए श्रोता"

परामर्श

‘जीवन के अमृत के रूप में जल: विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित दो सत्रों में सरकारी संस्थानों, विकास संगठनों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ‘जल संरक्षण, सततता एवं सामुदायिक सहभागिता’ विषय पर आयोजित प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएँ), श्री बृजेंद्र स्वरूप ने इस बात पर बल दिया कि पर्याप्त, सुरक्षित एवं किफायती जल तक बिना किसी भेदभाव के पहुँच सुनिश्चित करना मानवीय गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

नमामि गंगे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इसके एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने गंगा नदी की निर्मल धारा (प्रदूषण मुक्त प्रवाह), अविरल धारा (निरंतर प्रवाह) तथा उसकी भूवैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण से संबंधित उद्देश्यों को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 43,326 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 527 परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं में प्रदूषण उपशमन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान तथा आजीविका संवर्धन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

गंगा नदी के विभिन्न हिस्सों में जल की गुणवत्ता में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए श्री स्वरूप ने कहा कि गंगा के पुनरुद्धार के प्रयासों की सफलता का आकलन केवल व्यय की गई राशि अथवा पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली सहित पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने समग्र अपशिष्ट जल प्रबंधन, पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने, बाढ़ के मैदानों के संरक्षण, आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन तथा जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जल निकायों का वैज्ञानिक मानचित्रण, जलग्रहण क्षेत्र आधारित योजना निर्माण, संस्थागत समन्वय तथा सामुदायिक सहभागिता का भी आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि पुनर्स्थापन से पहले संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक, श्री युगल किशोर जोशी ने भारत के समक्ष जल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करते हुए बताया कि विश्व के कुल मीठे जल संसाधनों का लगभग 4 प्रतिशत भारत में उपलब्ध है, जबकि विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता घटकर लगभग 1,300–1,400 घन मीटर रह गई है, जो 1,700 घन मीटर के जल तनाव स्तर से भी कम है। उन्होंने पारंपरिक जल संचयन पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ एकीकृत करने, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने, जल बजट तैयार करने तथा अतिक्रमण की समस्या का समाधान करने पर बल दिया।

लगभग 800 गाँवों को शामिल करने वाली एक सामुदायिक पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत 731 गाँवों में जल निकायों का पुनरुद्धार लगभग 3 लाख रुपये प्रति जल निकाय की लागत से पूरा किया गया। उन्होंने सामुदायिक श्रम तथा खुदाई से निकाली गई गाद के उत्पादक उपयोग के महत्त्व को



▶ “राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के पैनल में बाएँ से दाएँ: सुश्री अंजलि मखीजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ट्रस्टी, एस. एम. सहगल फाउंडेशन; श्री युगल किशोर जोशी, कार्यक्रम निदेशक, नीति आयोग; श्री बृजेन्द्र स्वरूप, कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएँ), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय; तथा डॉ. राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, तरुण भारत संघ”

रेखांकित किया। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने, निगरानी व्यवस्था में सुधार करने तथा सफल संरक्षण पहलों को व्यापक स्तर पर दोहराने का आह्वान किया।

एस. एम. सहगल फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं न्यासी, सुश्री अंजलि मखीजा ने जल एवं कृषि संबंधी चुनौतियों के समाधान में समुदायों, सरकार, विकास संगठनों, शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारकों के बीच सहयोग के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने भूजल पुनर्भरण, अतिरिक्त सतही जल भंडारण, विद्यालयों में वर्षा जल संचयन, जल गुणवत्ता तथा जलवायु-अनुकूल एवं जल-कुशल कृषि के क्षेत्र में फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इनमें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तथा लेजर भूमि समतलीकरण जैसी तकनीकें भी शामिल हैं।

उन्होंने जल संबंधी प्राथमिकताओं की पहचान करने, संसाधनों का योगदान देने तथा जल संरचनाओं के रखरखाव में महिला समूहों एवं ग्राम विकास समितियों की भूमिका



▶ "पैनल चर्चा में पूरी तरह से तल्लीन प्रतिभागी"

पर बल दिया। स्थानीय एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मानचित्रण, मृदा नमी एवं जल गुणवत्ता की निगरानी तथा तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ने की वकालत की। उन्होंने किफायती एवं सुलभ प्रौद्योगिकी अपनाने, जल एवं कृषि के क्षेत्र में परोपकारी संस्थाओं तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अधिक निवेश करने के साथ-साथ वैज्ञानिक आधार पर जल-क्रेडिट प्रणाली विकसित करने का भी आह्वान किया।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष, डॉ. राजेंद्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि जल के भी अपने अधिकार हैं तथा नदियों की पारिस्थितिक अखंडता का संरक्षण करते हुए उन्हें निर्मल (शुद्ध) एवं अविरल (निरंतर प्रवाहित) बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने भारत की प्राकृतिक संपदा तथा उसमें आई गिरावट का उल्लेख करते हुए सामुदायिक सहभागिता, पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के माध्यम से 23 नदियों के पुनर्जीवन के अपने अनुभव साझा किए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल का अधिकार नदियों एवं उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के दायित्व के साथ जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान एवं जागरूकता संबंधी प्रयासों को सार्थक पर्यावरणीय कार्रवाई में परिवर्तित करना आवश्यक है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नदियों के पुनरुद्धार तथा भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने का आह्वान किया।

'पेयजल सेवाओं एवं स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव, श्री अशोक के. के. मीणा ने इस बात पर बल दिया कि सुरक्षित पेयजल मानवीय गरिमा, जनस्वास्थ्य तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

वर्ष 2019 में प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत नियोजित जल कनेक्शन संबंधी अवसंरचना का लगभग 82 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग 25 प्रतिशत विकासखंड भूजल की दृष्टि से गंभीर, अर्ध-गंभीर अथवा अतिदोहित श्रेणियों में आते हैं। सतही जल पर निर्भर योजनाओं का अनुपात 15 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है, जबकि भूजल पर निर्भर योजनाओं का अनुपात 85 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत रह गया है।

उन्होंने ग्राम स्तर पर जल बजट तैयार करने, जल स्रोतों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित



▶ "राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे सत्र के पैनल में बाएँ से दाएँ: श्री उमा शंकर पांडेय, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, किसान एवं भूजल संरक्षणवादी; श्री अशोक के. के. मीणा, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय; तथा श्री आनंद शेखर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाटरएड इंडिया"

करने, डिजिटल निगरानी व्यवस्था विकसित करने तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जल गुणवत्ता की निगरानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 24 लाख महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट के उपयोग तथा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आँकड़े अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर बल दिया तथा सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सतत पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूरा करने का उल्लेख किया।

प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, किसान एवं भूजल संरक्षणविद् श्री उमाशंकर पांडेय ने सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल संरक्षण के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने जल के व्यावसायीकरण एवं अपव्यय से संबंधित चिंताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि सुरक्षित पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करना सरकार एवं समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जल साक्षरता, सामुदायिक सहभागिता तथा पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया। जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने वाली एक छोटी चिड़िया का उदाहरण देते हुए उन्होंने व्यक्तिगत योगदान के महत्त्व को रेखांकित किया। जागरूकता के सृजन की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्माण व्यक्तिगत जिम्मेदारी से ही प्रारंभ होना चाहिए। उन्होंने अपने नारे "खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़" को दोहराते हुए कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण को जल संरक्षण की एक सतत पद्धति के रूप में अपनाने की वकालत की।

वॉटरएड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री आनंद शेखर ने जल को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के साथ जल के एक सतत स्रोत की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि लोगों को विश्वसनीय रूप से जल उपलब्ध हो सके। वर्ष 2014 में भारत में स्वच्छता कवरेज 20 प्रतिशत से भी कम होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निवेश एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पाँच वर्षों के भीतर खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक सतत स्वच्छता सेवाएँ पहुँचाने में हुई प्रगति को रेखांकित किया।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 86 प्रतिशत परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध कराए गए लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से प्राप्त अवसरों को भी रेखांकित किया, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि जल एवं स्वच्छता के लिए निर्धारित की गई है। इससे लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल स्रोतों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर स्वामित्व की भावना, पर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, बहु-हितधारक साझेदारियों तथा व्यापक सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्देश्य केवल पेयजल सेवाओं के कवरेज का विस्तार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत पेयजल सेवाओं के माध्यम से "सभी के लिए और सदैव जल" सुनिश्चित करना होना चाहिए।

समापन सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रासासुब्रमण्यन ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा जीवन के संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में प्रकृति के पाँच तत्वों अर्थात् पंचमहाभूतों के महत्त्व को रेखांकित किया। जल के गुणों एवं विशेषताओं पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने पैनल के सदस्यों द्वारा



▶ "राष्ट्रीय सम्मेलन का एक दृश्य"

प्रस्तुत संरक्षण के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की तथा सामूहिक प्रयासों एवं सभी हितधारकों की सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने श्रद्धा और व्यवहार के बीच विद्यमान विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज अक्सर उन चीजों का संरक्षण करने में विफल रहता है, जिनकी वह पूजा एवं श्रद्धा करता है। इस संदर्भ में उन्होंने महिलाओं और जल का उदाहरण दिया। उन्होंने इस अंतर को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यवहार अपनाने तथा संरक्षण के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण के प्रयास तत्काल प्रारंभ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के प्रयासों एवं बलिदानों का लाभ प्राप्त किया है और इसलिए भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना उसका दायित्व है। उन्होंने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि संरक्षण संबंधी पहलों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक है, भले ही उनके परिणाम सामने आने में कई दशक लग जाएँ। उन्होंने वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध, निरंतर एवं सहयोगात्मक कार्रवाई का आह्वान किया।

श्री पीयूष गोयल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दोनों विषयगत सत्रों में हुई चर्चाओं का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन एवं भूजल के गंभीर रूप से घटते स्तर की समस्या से निपटने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों, महिला समूहों तथा नागरिक समाज की सहभागिता से विकेंद्रीकृत एवं समुदाय आधारित शासन व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि जमीनी स्तर पर अभी बहुत कार्य किया जाना शेष है, तथापि सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ समन्वय से सकारात्मक एवं सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मुख्य अतिथि एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही, आयोग के 33वें स्थापना दिवस समारोह एवं राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इन आयोजनों ने मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ किया।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए"

जन सुनवाई एवं शिविर बैठक

शिविर बैठकें एवं जन सुनवाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के मानव अधिकार संरक्षण को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपनी कार्यवाही को लोगों के निकट ले जाकर आयोग पीड़ितों एवं प्रभावित समुदायों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता करता है। वर्ष 2007 से आयोजित की जा रही ये बैठकें आयोग को व्यवस्थागत समस्याओं का आकलन करने तथा मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में जवाबदेही को सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

आयोग ने 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को बिहार के पटना में दो दिवसीय शिविर बैठक आयोजित की। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रासासुब्रमण्यन तथा सदस्यगण, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी ने पीड़ितों एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में मानव अधिकार उल्लंघन के 70 से अधिक कथित मामलों की सुनवाई की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव, श्री प्रत्यय अमृत एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सुश्री प्रीता वर्मा; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री पीयूष गोयल; महानिदेशक (जाँच), श्रीमती अनुपमा निलेंकर चंद्रा; संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम दिन- आयोग ने 30 मामलों की सुनवाई की तथा संबंधित पक्षों को सुनने और यह पाए जाने पर कि आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन कर दिया गया है, 19 मामलों का निस्तारण कर दिया। राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप 10 मामलों में भुगतान किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया, जिससे पीड़ितों एवं उनके परिवारों को राहत मिली। कुल मिलाकर, एक करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित किए जाने की जानकारी दी गई। यह मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय एवं प्रतितोष सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा।

गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया। एक महिला पीड़िता से संबंधित मामले में, आयोग ने बिहार के पुलिस



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी बिहार में मानव अधिकरों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए"

महानिदेशक (डीजीपी) को पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने तथा एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिस पर वह किसी भी प्रकार की धमकी मिलने या आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सके। डीजीपी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश भी दिया गया।

पटना जिले के मनेर क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में, आयोग ने पीड़िता के निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि के भुगतान की अनुशंसा की। न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के दो अन्य मामलों में, आयोग ने जेल एवं चिकित्सा अधिकारियों की ओर से लापरवाही पाए जाने पर पीड़ितों के परिवारों को 15 लाख रुपये की राहत राशि देने की अनुशंसा की।

दूसरे दिन- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कथित बंधुआ मजदूरी के 10 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के. सेंथिल कुमार, श्रम आयुक्त श्री राजेश भारती तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बंधुआ मजदूरी के एक मामले में, आयोग ने जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित जेल अधिकारी के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। बाल श्रम से संबंधित दो मामलों में, आयोग ने श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कई पीढ़ियों से चली आ रही कथित बंधुआ मजदूरी की प्रथा से संबंधित एक मामले में, आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया।



▶ "सुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण एवं शिकायतकर्ता"

उसी दिन, आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी की खंडपीठ ने 33 मामलों की सुनवाई की। इनमें अनुपालन से संबंधित मामले तथा मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की अन्य शिकायतें शामिल थीं। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर सूची में शामिल न किए गए तीन मामलों को भी निर्धारित क्रम से हटकर सुनवाई के लिए लिया गया। कार्यवाही के दौरान, आयोग ने संबंधित पक्षों को सुनने तथा अनुपालन रिपोर्टों के साथ-साथ मृतक पीड़ितों के निकटतम परिजनों को 40 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान के प्रमाणों की समीक्षा करने के बाद 10 मामलों का निस्तारण कर दिया। न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के पांच अन्य मामलों में, जिनमें आयोग ने जेल/पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पाई, 30 लाख रुपये की मौद्रिक राहत देने की अनुशंसा की गई। अन्य मामलों में, संबंधित प्राधिकारियों से अतिरिक्त रिपोर्टें मांगी गई।

सुनवाई के बाद, आयोग ने बिहार राज्य से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों तथा मानव अधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए उनके सुझावों को स्वीकार किया।

आयोग ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत न करने अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब, कानूनों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संबंध में प्राधिकारियों में जानकारी का अभाव, बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, मुक्ति एवं पुनर्वास से जुड़े मुद्दे, पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन, मानव तस्करी सहित महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, निषेध संबंधी कानूनों का समुचित कार्यान्वयन न होने तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली जनहानि, बाल श्रम सहित बच्चों का संरक्षण, विद्यालयों की सुरक्षा एवं बाल कल्याण, आश्रय गृहों, सुधारात्मक संस्थानों तथा अन्य आवासीय देखभाल सुविधाओं की निगरानी जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के सहयोग की सराहना की, जिससे पीड़ितों को राहत प्रदान करने में सहायता मिली।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा महानिदेशक (जाँच) डॉ. अनुपमा नीलेकर चंद्रा पटना में आयोजित शिविर बैठक के दौरान गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों एवं मानव अधिकार रक्षकों के साथ बातचीत करते हुए"

लेख

विधवापन और आर्थिक असुरक्षा: मानव अधिकारों का परिप्रेक्ष्य

– मीरा खन्ना

ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, द गिल्ड ऑफ सर्विस, इंडिया



गरीबी का स्वीकरण एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त परिघटना है। गरीबी का एक अन्य पहलू विधवा महिला के जीवन में दिखाई देता है। पति को खोने वाली महिला केवल अपना जीवनसाथी ही नहीं खोती, बल्कि वह अपनी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामुदायिक सहयोग और प्रायः अपना वैवाहिक घर भी खो सकती है। उसे अपने ससुराल पक्ष से अलग-थलग किया जा सकता है और कुछ मामलों में मायके से भी सहयोग नहीं मिलता। एक ही क्षण में वह असुरक्षा की अनेक परतों से घिर सकती है। और असुरक्षा ही वह स्थिति है, जिसमें शोषण एवं मानव तस्करी पनपते हैं। इसलिए विधवापन केवल व्यक्तिगत त्रासदी या सांस्कृतिक चिंता का विषय नहीं है। यह आर्थिक एवं मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर तत्काल सार्वजनिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विधवापन का व्यापक स्वरूप: आँकड़ों का एक महत्त्वपूर्ण अभाव

भारत की पिछली पूर्ण जनगणना, जो वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी, के अनुसार 7.4 प्रतिशत महिलाएँ विधवा थीं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 2 प्रतिशत था। यह अंतर उल्लेखनीय है। तथापि, ये आँकड़े विधवाओं की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं—जैसे कि क्या उनके पास संपत्ति है, क्या उनकी स्वतंत्र आय है, क्या उन्हें पेंशन मिलती है अथवा क्या वे स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी संरक्षण तक पहुँच रखती हैं।[1]

हाल के जनगणना आँकड़ों का अभाव एक महत्त्वपूर्ण सीमा है। हालाँकि, विधवाओं की अद्यतन संख्या उपलब्ध होने पर भी यह पता नहीं चल पाएगा कि उनमें से कितनी गरीबी, संपत्ति से बेदखली, सामाजिक बहिष्कार या शोषण का सामना कर रही हैं।

द गिल्ड ऑफ सर्विस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुसंधान योजना के अंतर्गत समर्थित अपने वर्ष 2023 में प्रकाशित शोध प्रतिवेदन परित्यक्त विधवाएँ: भारत में विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन (Abandoned Widows: A Study on the Socio Economic Conditions of Widows in India) [2] के माध्यम से साक्ष्य संबंधी इस कमी को दूर करने का प्रयास किया। यह प्रतिवेदन विधवाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को उजागर करता है।

इसके निष्कर्षों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिक अनुमान मानने के बजाय इसके अनुसंधान की रूपरेखा और नमूने के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अधिक व्यापक और नियमित रूप से अद्यतन किए जाने वाले आँकड़ों की आवश्यकता अब भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितनी महिलाएँ विधवा हैं, बल्कि यह है कि कितनी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के साधनों से वंचित छोड़ दिया जाता है।

आर्थिक असुरक्षा: जब महिला परिवार की मुखिया बन जाती है

विधवापन अचानक किसी महिला को परिवार की जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में ला सकता है, जबकि उसे परिवार का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण या अधिकार उपलब्ध नहीं होते। महिला-प्रधान परिवारों को देखभाल संबंधी भारी जिम्मेदारियों, संपत्ति एवं ऋण तक असमान पहुँच और सुरक्षित रोजगार के सीमित अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। अवैतनिक घरेलू कार्य महिलाओं के समय और आवागमन की स्वतंत्रता को और सीमित कर देता है।

अनुसंधान से पुष्टि होती है कि विधवापन महिलाओं के कामकाज को उनकी आयु और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग ढंग से प्रभावित करता है। मेगन एन. रीड के वर्ष 2020 के अध्ययन, "विधवापन से पहले और बाद में भारतीय महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी", (The Labor Force Participation of Indian Women Before and After Widowhood) में भारत मानव विकास सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए उन 3,217 महिलाओं का अध्ययन किया गया, जिन्होंने वर्ष 2004–05 और 2011–12 के सर्वेक्षण चरणों के बीच अपने पतियों को खो दिया था। अध्ययन में पाया गया कि 52 वर्ष से कम आयु में विधवा हुई महिलाओं के काम करने के दिनों में वृद्धि हुई, जबकि अधिक आयु की महिलाओं की कार्य भागीदारी में कमी आई। परिणाम परिवार की संरचना के अनुसार भी अलग-अलग थे।[3]

कुछ महिलाओं के लिए विधवापन आजीविका अर्जित करने की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न करता है। वहीं, अन्य महिलाओं के लिए आयु, खराब स्वास्थ्य, देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ और रिश्तेदारों पर निर्भरता काम करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं। इस प्रकार, गरीबी का स्त्रीकरण परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से निकटता से जुड़ा हुआ है।

भूमि, उत्तराधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता

भारत जैसी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि केवल उत्पादन का साधन नहीं है। यह आय, ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने सहदायिक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को सुदृढ़ किया। तथापि, प्रगतिशील कानून होने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि महिलाएँ अपने अधिकारों का उपयोग भी कर सकेंगी।

विधवाओं को ससुराल पक्ष के विरोध, उत्तराधिकार संबंधी विवादों, अपने दावों को छोड़ने के दबाव, भूमि अभिलेखों में नामांतरण कराने में कठिनाइयों तथा कानूनी उपाय अपनाने की अत्यधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है। प्रथागत परंपराएँ और लागू कानूनों में अंतर भी स्थिति को और जटिल बना सकते हैं।

यहाँ तक कि जब किसी महिला का संपत्ति पर कानूनी दावा होता है, तब भी संभव है कि उस पर उसका प्रभावी नियंत्रण न हो। उसे भूमि पर रहने की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन उसकी खेती करने, उसे पट्टे पर देने अथवा ऋण प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करने से रोका जा सकता है।

स्वामित्व, बिना नियंत्रण के, आर्थिक सशक्तीकरण नहीं है।

कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार, भारत की कुल परिचालित कृषि जोतों में से लगभग 13.9 प्रतिशत का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा था। यह कृषि भूमि के संचालन में लैंगिक असमानता का एक ऐतिहासिक संकेतक है, न कि महिलाओं के कानूनी स्वामित्व का वर्तमान अनुमान।[4]

भूमि से बेदखल हुई विधवा शीघ्र ही असुरक्षित दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हो सकती है। जब महिलाएँ कृषि ऋण, सिंचाई, उपकरणों, सब्सिडी या संस्थागत सहायता तक पहुँच प्राप्त नहीं कर पातीं, तब छोटी जोतों पर खेती करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो सकता है।

हमें उत्तराधिकार कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन, सुलभ कानूनी सहायता, नामांतरण की सरल प्रक्रियाओं और दबावपूर्वक संपत्ति से बेदखली के विरुद्ध संरक्षण की आवश्यकता है। जहाँ उपयुक्त हो, पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से संपत्ति का पंजीकरण विधवापन की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक हो सकता है। विधवा को पारिवारिक संपत्ति की अस्थायी संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र अधिकारों वाली अधिकारधारक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

रोजगार, कौशल और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

जब किसी विधवा के पास भूमि या उत्पादक संपत्ति नहीं होती, तब रोजगार आर्थिक जीवन-यापन का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन जाता है। भारत सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर सामान्य स्थिति के आधार पर बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई, जबकि वर्ष 2022–23 में यह 37.0 प्रतिशत थी।[5]

यह एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संकेतक है, लेकिन यह विशेष रूप से विधवाओं से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्रमबल में भागीदारी का अर्थ आवश्यक रूप से सुरक्षित रोजगार, पर्याप्त मजदूरी या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता।

महिलाएँ काम करने के बावजूद गरीब रह सकती हैं, क्योंकि उनका रोजगार अनियमित, कम वेतन वाला या अवैतनिक होता है। सीमित शिक्षा और बाजार में उपयोगी कौशलों के अभाव के कारण विधवाओं के पास घरेलू काम, अस्थायी मजदूरी, घर-आधारित उत्पादन तथा अन्य असुरक्षित व्यवसायों जैसे सीमित विकल्प रह जाते हैं। ये परिस्थितियाँ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनके सामने बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

आजीविका कार्यक्रमों को विधवाओं की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण को वास्तविक रोजगार अवसरों और बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए तथा इसमें आयु और शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यकताओं में लचीलापन होना चाहिए। बाल देखभाल, सुरक्षित परिवहन, ऋण तक पहुँच, मार्गदर्शन तथा डिजिटल आवेदन भरने में सहायता भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी और सामाजिक सुरक्षा

विधवापन के आर्थिक परिणाम प्रायः बच्चों तक भी पहुँचते हैं। जब कोई माँ असुरक्षित रोजगार में लंबे समय तक काम करती है, तब घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाने या छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए लड़कियों को स्कूल से हटाया जा सकता है। आर्थिक कठिनाइयाँ लड़कियों की कम उम्र में शादी करने का दबाव भी बढ़ा सकती हैं, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य में आय अर्जित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

इसलिए विधवाओं के लिए सामाजिक संरक्षण को बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। माँ को सहयोग प्रदान करने से बेटी के स्कूल में बने रहने और आर्थिक निर्भरता से परे अपना जीवन बनाने के अधिकार की रक्षा की जा सकती है।

भारत की प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) में प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना (पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना) शामिल है। सरकारी कार्यक्रम संबंधी जानकारी के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 40 से 79 वर्ष आयु की पात्र विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 300 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है, जो 80 वर्ष की आयु से बढ़कर 500 रुपये प्रतिमाह हो जाती है। राज्य सरकारें इसके अतिरिक्त सहायता भी प्रदान कर सकती हैं।[6]

केंद्र सरकार का यह अंशदान भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। पात्रता की शर्तें, दस्तावेजों की आवश्यकताएँ, विलंब तथा डिजिटल प्रणालियों के उपयोग में आने वाली कठिनाइयाँ भी महिलाओं को सहायता प्राप्त करने से वंचित कर सकती हैं।

पेंशन सामाजिक संरक्षण का एक साधन है, जो गरिमा बनाए रखने में सहायता करती है और असुरक्षित काम या शोषणकारी व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के दबाव को कम करती है। केवल लाभार्थियों को योजना के दायरे में शामिल करना पर्याप्त संरक्षण नहीं है; सहायता राशि भी पर्याप्त होनी चाहिए। हमें पर्याप्त एवं मुद्रास्फीति के अनुरूप संशोधित पेंशन, सरल आवेदन प्रक्रिया, सुलभ शिकायत निवारण व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं के उपयोग में सहायता की आवश्यकता है।

वीबी-जी राम जी: एक महत्त्वपूर्ण, किंतु सीमित सुरक्षा कवच

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई थी, जिनके वयस्क सदस्य इस प्रकार का काम करने के इच्छुक हों। वित्तीय वर्ष 2024–25 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित कुल मानव-दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58.15 प्रतिशत थी और लगभग 440.7 लाख महिलाओं ने इसमें भाग लिया।[7] ये आँकड़े ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के स्रोत के रूप में इस योजना के महत्त्व को दर्शाते हैं। हालाँकि, इनसे यह पता नहीं चलता कि भाग लेने वाली महिलाओं में कितनी विधवाएँ थीं अथवा उनकी आय उनके परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त थी या नहीं।

1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) ने ले लिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वित्तीय वर्ष वैधानिक रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

हालाँकि, रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन इससे पूरे वर्ष आय की सुरक्षा या आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती। रोजगार तक पहुँच, काम की उपलब्धता, मजदूरी का समय पर भुगतान और पर्याप्त आय अब भी महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं।

विधवा महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि रोजगार के अवसर बिना किसी भेदभाव के सुलभ हों और मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए। इसलिए संशोधित योजना वीबी-जी राम जी को आजीविका सुरक्षा की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जिसमें मजदूरी आधारित रोजगार के साथ कौशल विकास, सामाजिक पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्पादक परिसंपत्तियों तक पहुँच और स्वरोजगार के लिए सहायता शामिल हो।

प्रवासन, विस्थापन और मानव तस्करी

जब महिलाएँ भूमि, आय और पारिवारिक सहयोग तक अपनी पहुँच खो देती हैं, तब प्रवासन उनके लिए विकल्प के बजाय आवश्यकता बन सकता है। काम की तलाश में निकली विधवा किसी अपरिचित स्थान पर पहुँच सकती है, जहाँ उसके पास सुरक्षित आवास, सामाजिक संपर्क या अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक कठिनाइयों के कारण विस्थापित महिलाओं को रोजगार और सामाजिक संरक्षण प्राप्त करने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

ऐसी परिस्थितियाँ महिलाओं और लड़कियों को भ्रामक भर्ती, श्रम शोषण, यौन हिंसा और मानव तस्करी के जोखिम में डाल सकती हैं। यह जोखिम विशेष रूप से यात्रा के दौरान अथवा अनियमित मध्यस्थों के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था किए जाने पर बढ़ जाता है। विधवा होने मात्र से कोई महिला मानव तस्करी की शिकार होने के प्रति स्वतः संवेदनशील नहीं हो जाती और न ही मानव तस्करी को केवल गरीबी के आधार पर समझा जा सकता है। तथापि, आर्थिक असुरक्षा, संपत्ति से बेदखली, सामाजिक बहिष्कार और संरक्षण सेवाओं का अभाव मिलकर शोषण का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

रोकथाम के प्रयास उस स्थिति से पहले शुरू होने चाहिए, जब कोई महिला पूरी तरह निराशा की स्थिति में पहुँच जाए। सुरक्षित आवास, आय सहायता, कानूनी सहायता, सुरक्षित रोजगार और सामुदायिक नेटवर्क शोषणकारी व्यवस्थाओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं। मानव तस्करी या हिंसा का सामना कर चुकी महिलाओं के लिए पुनर्वास केवल बचाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें निरंतर आजीविका सहायता, मनोसामाजिक देखभाल, कानूनी सहायता तथा स्वायत्तता और गरिमा को पुनः स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

बेहतर आँकड़ों और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता

प्रभावी नीतियों के निर्माण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक विधवाओं के संबंध में पर्याप्त विस्तृत और नियमित रूप से अद्यतन जानकारी का अभाव है। राष्ट्रीय आँकड़ों में आयु, स्थान, दिव्यांगता, शिक्षा, परिवार की संरचना, आय, रोजगार, संपत्ति का स्वामित्व, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन तक पहुँच तथा हिंसा या शोषण के अनुभवों से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए। विधवापन पर एक समर्पित राष्ट्रीय सर्वेक्षण

अथवा मौजूदा सर्वेक्षणों में व्यवस्थित रूप से एक विशेष मॉड्यूल शामिल करने से आर्थिक वंचना के पैमाने और विविधता का आकलन करने में सहायता मिल सकती है।

हमें परिवार की गरीबी और उसी परिवार में रहने वाली किसी महिला द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी के बीच अंतर भी समझना होगा। किसी परिवार के पास भोजन और आश्रय हो सकता है, जबकि उसी परिवार की विधवा के पास स्वतंत्र आय, संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य सेवाओं या कानूनी सहायता तक पहुँच न हो।

इसलिए गरीबी का आकलन केवल परिवार के औसत आँकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कोई विधवा अपनी आय और संपत्ति पर नियंत्रण रख सकती है, अपने अधिकारों एवं लाभों तक पहुँच सकती है, आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकती है तथा हिंसा या शोषण के भय के बिना जीवन जी सकती है। मात्रात्मक आँकड़ों के साथ-साथ गुणात्मक अनुसंधान भी आवश्यक है, जिसमें महिलाओं के अनुभव दर्ज किए जाएँ। आँकड़े बताते हैं कि कोई समस्या कितनी व्यापक हो सकती है; वहीं महिलाओं के अनुभव यह समझने में सहायता करते हैं कि समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है और उसमें क्या बदलाव आवश्यक हैं।

असुरक्षा से सशक्तीकरण की ओर

विधवापन, गरीबी और मानव तस्करी के बीच के संबंधों को तोड़ने के लिए समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

- संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को सुरक्षित करना: कानूनी सहायता, जागरूकता, कानूनों के प्रवर्तन और संपत्ति से बेदखली के विरुद्ध संरक्षण को सुदृढ़ किया जाए।
- आजीविका को सुलभ बनाना: विधवाओं की आयु, शिक्षा और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के अनुरूप कौशल एवं रोजगार कार्यक्रम तैयार किए जाएँ तथा प्रशिक्षण को बाजार और सतत आय से जोड़ा जाए।
- सामाजिक संरक्षण को सुदृढ़ करना: पेंशन की पर्याप्तता और सुलभता में सुधार किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि डिजिटल प्रणालियों के कारण उन महिलाओं को सहायता से वंचित न होना पड़े, जिनके पास साक्षरता, उपकरण या आवश्यक सहयोग उपलब्ध नहीं है।
- बच्चों का संरक्षण करना: पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंचना को रोकने के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा जारी रखने, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल देखभाल को सहयोग दिया जाए।
- मानव तस्करी और शोषण की रोकथाम करना: सुरक्षित प्रवासन के मार्ग, सम्मानजनक कार्य, सुरक्षित आवास और सुलभ सहायता सेवाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- विश्वसनीय साक्ष्य आधार तैयार करना: विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विभाजित आँकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाएँ और नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन में विधवाओं को शामिल किया जाए।

सर्वोपरि, विधवाओं को अधिकारधारक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उनकी परिस्थितियाँ आयु, वर्ग, जाति, स्थान, दिव्यांगता, पारिवारिक संरचना और संपत्ति तक पहुँच के आधार पर भिन्न होती हैं। नीतियों में इन भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विधवापन गरीबी की सजा नहीं बनना चाहिए

विधवाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं है; इसके लिए समान अधिकार, प्रभावी संरक्षण और अपने जीवन को पुनः संवारने के अवसर आवश्यक हैं। जीवनसाथी की मृत्यु का अर्थ दरिद्रता नहीं होना चाहिए। किसी विधवा को अपनी गरिमा और जीवन-निर्वाह के बीच चयन करने के लिए विवश नहीं होना चाहिए। यदि विधवापन, गरीबी और मानव तस्करी के बीच के संबंध को तोड़ना है, तो असुरक्षा के शोषण में बदलने से पहले ही हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें विधवाओं को अपने आँकड़ों में स्थान देना होगा, अपनी नीतियों में शामिल करना होगा और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखना होगा। मानव अधिकारों के प्रति किसी समाज की प्रतिबद्धता इस बात से परिलक्षित होनी चाहिए कि वह महिलाओं को गरीबी, बहिष्कार और शोषण से किस प्रकार सुरक्षित रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विधवा गरिमा, स्वतंत्रता और उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ जीवन जी सके।

महत्वपूर्ण संदर्भ

[1] भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जनगणना 2011, वैवाहिक स्थिति से संबंधित आँकड़े।

[2] परित्यक्त विधवाएँ: भारत में विधवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन।

[3] रीड, एम. एन. (2020), "विधवापन से पहले और बाद में भारतीय महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी", डेमोग्राफिक रिसर्च, खंड 43, पृष्ठ 673–706।

[4] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि जनगणना 2015–16।

[5] सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, वार्षिक रिपोर्ट 2023–24।

[6] ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

[7] पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, "मनरेगा: ग्रामीण सुदृढ़ता का निर्माण", 26 अगस्त 2025।

परामर्शिकाएँ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत समय-समय पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श जारी करता रहा है। इन परामर्शों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया जाता है और संबंधित प्राधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा की जाती है। अक्टूबर 2026 के दौरान, आयोग ने विशेष ध्यान और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की आवश्यकता वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर दो परामर्श जारी किए—'कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा' तथा 'महिला बंदियों और उनके बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण'। एनएचआरसी ने संबंधित प्राधिकारियों से इन परामर्शों में की गई अनुशंसाओं को लागू करने और प्रगति से आयोग को अवगत कराने के लिए कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। विस्तृत परामर्श आयोग की वेबसाइट www.राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा

एनएचआरसी ने उल्लेख किया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद होने के बावजूद, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। भारत में हाल ही में किए गए आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण के अनुसार, सितंबर 2026 में श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 34.6 प्रतिशत थी। हालाँकि, वर्ष 2026 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले भी दर्ज किए गए। ये आँकड़े महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बनी हुई चुनौतियों को रेखांकित करते हैं और इस दिशा में निरंतर एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

आयोग ने स्वीकार किया कि महिलाओं की सुरक्षा उनके न्याय और समान अवसरों के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर उनकी सुरक्षा देश के कार्यबल में उनकी भागीदारी तथा उनकी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है।

इन तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 'कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा' संबंधी परामर्श दस केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को भेजा है। जिन केंद्रीय मंत्रालयों को यह परामर्श भेजा गया है, उनमें महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोजगार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं।

एनएचआरसी का यह परामर्श कार्रवाई के लिए आठ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के विषयों पर जागरूकता बढ़ाना, बुनियादी ढाँचा, प्रत्यक्षदर्शियों को हस्तक्षेप के लिए प्रोत्साहित करना, पुलिस की भूमिका, पीड़ितों को सहायता, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार तथा अन्य उपाय शामिल हैं।

महिला बंदियों और उनके बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण

आयोग ने उल्लेख किया कि बंदियों के अधिकारों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा संवेदनशील एवं लैंगिक उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इनमें विशेष रूप से महिला बंदियाँ और उनके बच्चे शामिल हैं, जो बंदियों के बीच अधिक असुरक्षित वर्ग हैं। अभिरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, जेलों में मानवीय परिस्थितियाँ, पर्याप्त मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, न्याय तक पहुँच, पारिवारिक संबंधों का संरक्षण, जेल में बंद महिलाओं के बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा, उनके पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इन तथा अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 'महिला बंदियों और उनके बच्चों के मानव अधिकारों का संरक्षण' संबंधी परामर्श नौ केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा पुलिस महानिदेशकों को भेजा है।

यह परामर्श कार्रवाई के दस व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें जेल में प्रवेश से पूर्व की प्रक्रिया, गिरफ्तारी और जेल व्यवस्था में प्रवेश; प्रवेश संबंधी अभिलेख, बच्चों का डेटाबेस एवं दस्तावेजीकरण; स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ; महिला बंदियों के रहने की परिस्थितियाँ, स्वच्छता, कल्याण एवं संवेदनशीलता संबंधी जागरूकता; बंदियों के साथ रहने वाले अथवा उनसे अलग किए गए बच्चे; संचार, मुलाकात एवं पारिवारिक संपर्क; जेल प्रशासन; कानूनी सहायता एवं न्याय तक पहुँच; महिला बंदियों को न्यायालय में पेश किए जाने के दौरान लैंगिक उत्तरदायी सुविधाएँ एवं कल्याणकारी उपाय; पुनर्वास, रिहाई के बाद की व्यवस्था एवं सामाजिक पुनःएकीकरण; तथा विदेशी राष्ट्रीयता वाले बंदी शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप

हैदराबाद केंद्रीय कारागार में विविध लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्तियों वाले व्यक्तियों के लिए पृथक जेंडर-न्यूट्रल प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को हैदराबाद केंद्रीय कारागार के अधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने विविध लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्तियों वाले व्यक्तियों की गरिमा और उनके लिए उपयुक्त आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पृथक जेंडर-न्यूट्रल प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

यह कदम आयोग के विशेष मॉनिटर द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को कारागार के दौरे के बाद उठाया गया। विशेष मॉनिटर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों से संबंधित मामलों का दायित्व सौंपा गया है। दौरे के दौरान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरसी और गृह मंत्रालय के परामर्शों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अनुपालन प्रतिवेदन में, हैदराबाद केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि जेंडर-न्यूट्रल प्रकोष्ठ स्थापित करने संबंधी अनुशंसा लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कारागार प्रशासन ने इस सुविधा में रखे गए व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान के अनुरूप वस्त्र पहनने की अनुमति भी प्रदान की है।

यह पहल सुधारात्मक संस्थानों में विविध लैंगिक पहचान एवं अभिव्यक्तियों वाले व्यक्तियों के मानव अधिकारों और गरिमा के संरक्षण को बढ़ावा देने के आयोग के प्रयासों को दर्शाती है।

स्वतः संज्ञान

मीडिया रिपोर्टें लंबे समय से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के लिए मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की घटनाओं की पहचान करने हेतु सूचना का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रही हैं। पिछले वर्षों में, आयोग ने ऐसे अनेक मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को समय पर राहत एवं सहायता प्रदान की है। अक्टूबर 2026 में, आयोग ने मीडिया में प्रकाशित आठ मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। इन मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

परिवार को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया

(केस संख्या 942/36/2/2026-BL)

30 सितंबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों वाले एक परिवार को तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मेडचल-मलकाजगिरि जिले के बचुपल्ली में एक निर्माण स्थल पर लगभग एक वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। कथित तौर पर, बचाए जाने के समय उन्हें अत्यंत कम मजदूरी दी जा रही थी और सप्ताह के सातों दिन काम कराया जा रहा था। उन्हें शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था तथा वे असुरक्षित और अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बंधुआ मजदूरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक पर्यवेक्षक ने उनका सामान बंद करके रख दिया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद राजस्व एवं श्रम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मुक्त कराया। आयोग ने इस मामले में तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेडचल-मलकाजगिरि के जिला अधिकारी तथा साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में बचाए गए सभी 12 पीड़ितों की वर्तमान स्थिति एवं उनके ठिकाने तथा उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों का विवरण शामिल किए जाने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) तथा जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण भी मांगा गया है। रिपोर्ट में यह पुष्टि भी शामिल होनी चाहिए कि सभी पात्र पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं अथवा नहीं। साथ ही, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित को दी गई 30,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उनके दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना भी मांगी गई है। इसमें पीड़ितों की इच्छा होने पर राज्य प्राधिकारियों के समन्वय से उन्हें उत्तर प्रदेश स्थित उनके गृह जिले वापस भेजना भी शामिल है। मेडचल-मलकाजगिरि के जिला अधिकारीको निर्देश दिया गया है कि बचाए गए बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पीड़ित-केंद्रित तरीके से सुनिश्चित की जाए।

रासायनिक पदार्थों से झुलसने के कारण श्रमिकों को चोटें

(केस संख्या 1542/7/15/2026)

30 सितंबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, हरियाणा के पानीपत जिले में बड़ी संख्या में 'ब्लीचिंग इकाइयाँ' प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना संचालित हो रही हैं। कथित तौर पर, इन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को जूते, दस्ताने या अन्य कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके कारण वे सीधे खतरनाक रसायनों के संपर्क में आते हैं, जिससे उनके हाथों और पैरों को गंभीर क्षति पहुँचने के साथ-साथ त्वचा संबंधी एलर्जी भी हो रही है।

इन इकाइयों के कम-से-कम 10 से 12 श्रमिक प्रतिदिन गंभीर रूप से घायल हाथों और पैरों के उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुँचते हैं। इन इकाइयों में रासायनिक पदार्थों से युक्त अपशिष्ट जल के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इसे सीधे गड्ढों में छोड़ा जा रहा है। आयोग ने इस मामले में पानीपत के जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन से विद्यार्थियों के जीवन को खतरा

(केस संख्या 2284/4/10/2026)

5 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, बिहार के दरभंगा जिले के कीरतपुर में स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की छत को लकड़ी की बेंचों, डेस्क और ईंटों के सहारे अस्थायी रूप से टिकाकर रखा गया है। छत को सहारा देने वाला मुख्य स्तंभ तीन से चार महीने पहले ढह गया था। इससे लगभग 191 विद्यार्थियों और विद्यालय के कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा है। कथित तौर पर, प्रशासन इस स्थिति से अनभिज्ञ प्रतीत होता है। आयोग ने इस मामले में दरभंगा के जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों का यौन उत्पीड़न

(केस संख्या 3134/30/0/2026)

5 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों द्वारा तीन महिला पत्रकारों का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। खबरों के अनुसार, नई दिल्ली जिला पुलिस को इन कथित घटनाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें जांच के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेज दिया गया। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बोरवेल के पानी का दूषित होना

(केस संख्या 2022/13/19/2026)

7 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंबड औद्योगिक क्षेत्र के निकट दत्तनगर इलाके में बोरवेल का पानी रासायनिक अपशिष्टों के रिसाव के कारण दूषित हो गया। कथित तौर पर, ये अपशिष्ट आसपास के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से छोड़े जा रहे थे। बताया गया कि पिछले दो महीनों से निवासियों को दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही थी। बच्चों को स्कूल न जाने की सलाह दी गई थी, जबकि डॉक्टरों ने क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण से बचने की सलाह दी थी। निवासियों को स्वच्छ पेयजल खरीदने पर प्रतिमाह लगभग 5,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त, उन्हें चिकित्सा उपचार पर भी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही थी। आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी टिप्पणियाँ मांगी हैं।

कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से विद्यार्थियों को चोटें

(केस संख्या 2081/20/29/2026)

7 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, राजस्थान के उदयपुर जिले के एक जर्जर सरकारी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा-कक्ष की छत का प्लास्टर गिरने से 7 से 8 वर्ष की आयु के तीन विद्यार्थी घायल हो गए। कथित तौर पर, विद्यार्थियों के सिर में चोटें आईं। घटना के समय विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं थे। घायल विद्यार्थी स्वयं पैदल अपने घर लौटे। इसके बाद उनके परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए।

खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने विद्यालय बंद कर दिया है और कक्षाएँ संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इस मामले में उदयपुर के जिला अधिकारीको नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल विद्यार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण शामिल किए जाने की अपेक्षा है।

महिला के साथ अत्याचार और उसकी गरिमा का उल्लंघन

(केस संख्या 1018/6/24/2026-WC)

8 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक विवाहित महिला, जो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही थी, के साथ उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किया गया। कथित तौर पर, महिला और उसके साथ रह रहे पुरुष का पता लगाकर उन्हें 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' करने के बहाने वापस लाया गया। महिला को लाठियों से पीटा गया, लातें मारी गईं और एक पेड़ से बाँध दिया गया। आरोप है कि अभियुक्तों ने उसके साथ आए पुरुष को भी महिला के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया।

खबरों के अनुसार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया। आयोग ने इस मामले में सुरेंद्रनगर के जिला अधिकारीऔर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति तथा उसे कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं, इसका विवरण शामिल किए जाने की अपेक्षा है।

पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को अर्धनग्न अवस्था में परेड कराना

(केस संख्या 2722/25/5/2026)

28 अक्टूबर 2026 को मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस ने तीन व्यक्तियों को कमर में रस्सियाँ बाँधकर सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में परेड कराया। इन व्यक्तियों को तीन अन्य लोगों को पीटने, उनके कपड़े उतारने और जबरन निर्वस्त्र कर परेड कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन तीन व्यक्तियों में दो लड़के भी शामिल थे, जिन्हें एक नाबालिग लड़की के साथ देखा गया था। कथित तौर पर, लड़की के परिवार ने एक लड़के के पिता को भी बुलवाया था और उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर दोनों लड़कों के साथ बंदूक की नोक पर सड़कों पर परेड कराया गया। आयोग ने इस मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतें सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की अनुशंसा करना। आयोग नियमित रूप से विभिन्न मामलों को सुनवाई के लिए लेता है तथा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश एवं अनुशंसाएँ जारी करता है। अक्टूबर 2026 में, ऐसे आठ मामलों में पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों (एनओके) के लिए कुल 58 लाख रुपये की राहत राशि की अनुशंसा की गई, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था अथवा उनके संरक्षण में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित केस संख्या को एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट पर दर्ज करके प्राप्त किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकारी
1	395/4/26/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
2	1412/7/10/2024-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	हरियाणा सरकार
3	1297/20/30/2024-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	राजस्थान सरकार
4	3408/4/26/2025	10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार एवं हत्या	5.00	बिहार सरकार
5	3084/30/6/2024	पुलिस द्वारा मारपीट	0.50	दिल्ली सरकार
6	1784/7/23/2024	भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या	5.00	हरियाणा सरकार
7	1133/12/33/2026	बिजली के झटके से घायल हुए अपने कर्मचारी को वित्तीय अथवा चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विद्युत विभाग की विफलता	20.00	मध्य प्रदेश सरकार
8	1598/18/8/2025	दो बच्चों की मलेरिया से हुई मृत्यु को रोकने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करना	10.00	ओडिशा सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

अक्टूबर 2026 के दौरान, आयोग ने 16 मामलों का निपटारा किया। यह निपटारा या तो लोक प्राधिकारियों से अनुपालन प्रतिवेदन एवं भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने पर अथवा अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश जारी करके किया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 16 मामलों में पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को 63 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित केस संख्या के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की वेबसाइट पर लॉग-इन करके डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)	प्राधिकारी
1	1352/1/5/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
2	932/1/5/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार
3	2443/4/26/2022-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
4	4053/4/20/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
5	4101/4/23/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
6	4408/4/8/2023-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	3.00	बिहार सरकार
7	5884/24/69/2021-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
8	675/25/5/2022-JCD	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	1.00	पश्चिम बंगाल सरकार
9	2566/4/11/2023-DH	पर्यवेक्षण गृह में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
10	141/4/26/2024-PCD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	7.50	बिहार सरकार
11	2469/4/23/2020-AD	पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	10.00	बिहार सरकार
12	1552/4/30/2022-WC	मारपीट के एक मामले में पुलिस की निष्क्रियता	0.50	बिहार सरकार
13	14751/24/75/2021	हत्या की आशंका संबंधी शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
14	6330/4/29/2022	पुलिस द्वारा मारपीट, जिसके परिणामस्वरूप सुनने की क्षमता का ह्रास हुआ	0.50	बिहार सरकार
15	973/18/1/2024	सरकारी अस्पताल से नवजात शिशु की चोरी	0.50	ओडिशा सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में आयोग ने पाया कि राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत, उनकी अवैध कार्रवाई, निष्क्रियता अथवा चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। अतः प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए कि क्यों न इन पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की जाए तथा दोषी/लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिसों के प्रत्युत्तर में राज्यों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों से इन सिफारिशों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए। ऐसे मामलों का सारांश निम्नलिखित है:

विद्युत करंट लगने से मृत्यु

(केस संख्या 3038/30/7/2024)

यह मामला वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में विद्युत करंट लगने से एक 12 वर्षीय बालक की मृत्यु से संबंधित था। बालक शाम लगभग 7:00 बजे ट्यूशन कक्षाओं से घर लौट रहा था, तभी सड़क पर भरे पानी में पड़े टूटे हुए बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सामग्री के आधार पर यह पता चला कि घटना से लगभग 10 दिन पहले ही कॉलोनी के निवासियों ने विभाग को इन ढीले तारों के संबंध में शिकायत की थी, क्योंकि कुछ बच्चों और एक कुत्ते को पहले ही बिजली के झटके लग चुके थे। इसके बावजूद प्राधिकारियों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे निवासियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए दिल्ली सरकार को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए आयोग ने मृतक के निकटतम परिजनों (NoK) को राहत के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

विचाराधीन कैदी की मृत्यु

(केस संख्या 1548/18/17/2023-JCD)

यह मामला वर्ष 2023 में ओडिशा की बरगढ़ उप-जेल की अभिरक्षा में एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित था। उसने पेट में दर्द तथा मल-मूत्र त्यागने में कठिनाई की शिकायत की थी। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), बरगढ़ और तत्पश्चात जिला मुख्यालय अस्पताल (DHH), बरगढ़ भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में

प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चला कि कैदी की जेल में दाखिले के 15 दिनों के भीतर ही मृत्यु हो गई थी। पीड़ित को जेल में आईएचएसआर (IHSR) और जेल फार्मासिस्ट द्वारा उपचार उपलब्ध कराया गया था। उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया। मजिस्ट्रेटी जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि अंतिम राय प्राप्त करने के लिए जब्त किए गए जैविक पदार्थों को रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया था, जिससे अभिरक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई चिकित्सा देखभाल की पर्याप्तता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं। अतः अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए आयोग ने मृतक के निकटतम परिजनों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 77/7/18/2022)

यह मामला वर्ष 2022 में हरियाणा की जिला जेल, सिरसा में एक विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने से संबंधित था। वह जेल में 11 दिनों से बंद था। उसने जेल के स्नानघर में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालाँकि, उसके पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या जेल अधिकारियों द्वारा की गई थी। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चला कि मृतक का नशीले पदार्थों के सेवन का पूर्व इतिहास था और इसके बाद उसमें नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ने के लक्षण भी दिखाई दिए थे, फिर भी जेल अधिकारी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। अतः अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए आयोग ने पीड़ित के निकटतम परिजनों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका अनुपालन किया गया।

शक्तियों का दुरुपयोग

(केस संख्या 1046/22/13/2022-AD)

यह मामला तमिलनाडु के चेन्नई में 18 और 19 अप्रैल 2022 की मध्यवर्ती रात्रि के दौरान नियमित वाहन जाँच के समय पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने से संबंधित था। उन्हें पुलिस थाना—सेक्रेटेरिएट कॉलोनी ले जाया गया, जहाँ उन्हें यातनाएँ दी गईं। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनमें से एक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आयोग को अपने नोटिसों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सामग्री के आधार पर हिरासत में यातना के कारण मृत्यु होने के आरोप सत्य पाए गए। अतः अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए आयोग ने मृतक के निकटतम परिजनों को राहत के रूप में 10 लाख रुपये तथा पुलिस अत्याचार से बच गए दूसरे पीड़ित को उपयुक्त मुआवजा देने की सिफारिश की। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मृतक के निकटतम परिजनों को अनुशंसित राशि तथा दूसरे पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 2,62,500 रुपये का भुगतान किया। आरोपी छह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मौके पर पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की मौके पर जाँच करने के लिए समय-समय पर अपने जाँच अधिकारियों की टीम तैनात करता है।

केस संख्या 2796/30/6/2021-ED

5 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के आरोप की मौके पर जाँच की गई।

केस संख्या 1463/12/35/2025

13 से 16 अक्टूबर 2026 तक मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस यातना के कारण चोट लगने और सुनने की क्षमता आंशिक रूप से समाप्त होने के आरोप की मौके पर जाँच की गई।

केस संख्या 7418/24/60/2025

5 से 9 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बलात्कार पीड़िता पर मौद्रिक लाभ के बदले अपनी शिकायत वापस लेने के लिए पुलिस द्वारा दबाव डालने के आरोप की मौके पर जाँच की गई। उसके इनकार करने पर उसे अपमानित किया गया और ज़हर दिया गया।

केस संख्या 575/18/27/2026

5 से 8 अक्टूबर 2026 तक ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के मामले में झूठा फँसाए जाने के आरोपों की मौके पर जाँच की गई।

केस संख्या 2213/12/8/2026

26 से 28 अक्टूबर 2026 तक मध्य प्रदेश के भोपाल में मौके पर जाँच की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विद्या निकेतन हॉस्टल मेस, आरआईई भोपाल, मध्य प्रदेश में पकाए गए चावल में बार-बार बाहरी वस्तुएँ/कीड़े जैसे लार्वा युक्त भोजन परोसा जा रहा है, जिससे खाद्य स्वच्छता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की अध्यक्ष, सदस्यगण और वरिष्ठ अधिकारी देश के विभिन्न स्थानों का समय-समय पर दौरा करते हैं, ताकि वहाँ की मानव अधिकार स्थिति तथा राज्य सरकारों और उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्श-सिफारिशों, दिशा-निर्देशों एवं अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, जेलों और पर्यवेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं, ताकि सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें मानव अधिकार संबंधी परिस्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इन दौरों के दौरान अधिकारियों को समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के महत्व से भी अवगत कराया जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का शीघ्र निस्तारण करने में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य द्वारा दौरे

14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय के डे-केयर केंद्र का दौरा किया और वहाँ की सुविधाओं को संतोषजनक पाया। उसी दिन उन्होंने तिरुपति स्थित श्री पद्मावती महिला महाविद्यालय के ब्लॉक बी में गंगोत्री और गायत्री भवनों के छात्रावासों का भी दौरा किया तथा बुनियादी ढाँचे, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कई कमियाँ पाईं। उन्होंने संबंधित प्राधिकारियों से स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया।

15 अक्टूबर 2026 को सदस्य ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित डीएवी स्कूल का दौरा किया और वहाँ की प्रधानाचार्य, विभिन्न विषयों के मुख्य शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों, मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के महत्व के प्रति शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने के संबंध में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए गए। उन्होंने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण विषयों—भारत का संविधान, मानव अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)—को शामिल करने का आग्रह किया।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी तिरुपति स्थित श्री पद्मावती महिला महाविद्यालय के ब्लॉक बी में गंगोत्री एवं गायत्री छात्रावासों का दौरा करते हुए"

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नामित किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं तथा अपने अवलोकनों के साथ-साथ भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के सुझावों सहित प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और अपने निष्कर्ष आयोग को प्रस्तुत करने के लिए 18 विशेष मॉनिटर नियुक्त किए हैं।

विशेष प्रतिवेदक

4 से 6 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री प्रवीण सिन्हा ने बिहार के पटना और भोजपुर (आरा) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला जेल, अनाथालयों, बाल गृहों, संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों में मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव,

पुलिस महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग के सचिव, महानिरीक्षक (कारागार) तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों से भी भेंट की।

5 से 8 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री के. पद्मकुमार ने तमिलनाडु के नीलगिरि जिले का दौरा किया। उन्होंने मानव अधिकारों की स्थिति तथा कुरुम्बा, इरुला, टोडा और कट्टुनायकन समुदायों सहित जनजातीय बस्तियों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, साथ ही विद्यालयों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लोगों से संवाद किया और उनके समुदाय से संबंधित चिंताओं पर संबंधित जनजातीय प्राधिकारियों के साथ चर्चा की।

6 से 11 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री मोहम्मद जमशेद ने गोवा के दक्षिण गोवा जिले का दौरा किया। उन्होंने पुलिस थाने के हवालात, आंगनवाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम, बाल आश्रय गृह तथा विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), जिसे पहले मनरेगा (MGNREGS) के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत एक कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया। उन्होंने जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा बाल अधिकारों एवं संरक्षण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

18 से 24 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री सुभाष चंद्र ने मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिलों के कई स्थानों का दौरा कर मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। इनमें डॉ. अंबेडकर नगर (महू) के औद्योगिक क्षेत्र, नगर निगम की स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ, पुलिस थाने, बाल देखभाल संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला आश्रय गृह, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएँ तथा जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संस्थान एवं विद्यालय शामिल थे। इनमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल थे। उन्होंने बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, औद्योगिक एवं प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य हितधारकों से संवाद किया, ताकि उनके कल्याण, सुरक्षा, सेवाओं तक पहुँच और मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों की जाँच की जा सके। स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा करने हेतु उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम तथा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य और अन्य विभागों के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

22 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री उपेंद्र सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा और एटा जिलों के विभिन्न स्थानों का दौरा कर मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। इनमें एक वृद्धाश्रम, सरकारी अनुसूचित जाति छात्रावास तथा आगरा का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल शामिल थे। उन्होंने वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के साथ कार्यकारी बैठकें भी कीं, जिनमें उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिदेश के बारे में जानकारी दी और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के दौरों के लिए उनका सहयोग माँगा।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री सईद अहमद बाबा नागालैंड के वोखा स्थित डॉ. मोत्सुओ मेमोरियल जिला अस्पताल का दौरा करते हुए"

25 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री सईद अहमद बाबा ने नागालैंड के कोहिमा, वोखा और मोकोकचुंग जिलों का दौरा किया। उन्होंने जिला जेल, अस्पताल, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, मानसिक स्वास्थ्य एवं हाफवे होम्स तथा गैर-सरकारी संगठनों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं तथा प्रगति का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कारागार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

25 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर का दौरा किया और समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, गृह/कारागार तथा



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती शोमिता बिस्वास श्रीनगर स्थित केंद्रीय जेल का दौरा करते हुए"

स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने पर्यवेक्षण-सह-विशेष गृहों, बाल देखभाल संस्थानों, आश्रय गृहों, वृद्धाश्रमों, वन स्टॉप सेंटरों, निराश्रित गृहों/नारी निकेतनों और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का भी आकलन किया।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री एस. के. सतपथी ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कैपिटल अस्पताल एवं पीजीआईएमईआर का दौरा करते हुए"

26 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री एस. के. सतपथी ने ओडिशा के खुर्दा और कटक जिलों का दौरा किया। उन्होंने जिला जेलों, महिला आश्रय गृहों, बाल देखभाल गृहों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों, बुजुर्गों की देखभाल एवं दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुपालन की स्थिति का आकलन करने के लिए अस्पतालों के मानसिक स्वास्थ्य वार्डों का भी दौरा किया।

26 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड के राँची, खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा जिलों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जेल अधीक्षकों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए राँची स्थित होटवार जेल और किशोर/पर्यवेक्षण गृह के साथ-साथ खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा की जिला जेलों का भी दौरा किया।

विशेष मॉनिटर



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर गोपी शंकर मदुरै तेलंगाना के हैदराबाद स्थित नालसर विधि विश्वविद्यालय में भारत में इंटरसेक्स जन्म पंजीकरण के लिए कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए"

4 से 13 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर गोपी शंकर मदुरै ने तेलंगाना के हैदराबाद का दौरा किया और ट्रांसजेंडर तथा एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित मुद्दों का आकलन किया। इस दौरे में क्षमता संवर्धन, आँकड़ों का संग्रह, क्षेत्रीय दौरे, हितधारकों के साथ परामर्श, विश्लेषण तथा यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और लैंगिक विशेषताओं (SOGIESC) से संबंधित मुद्दों पर पैरवी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें विविध लैंगिक विशेषताओं वाले व्यक्तियों, इंटरसेक्स शिशुओं और पारंपरिक लैंगिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार न करने वाले बच्चों के अधिकार भी शामिल थे। उन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करने के साथ-साथ चिकित्सा, शैक्षणिक, अनुसंधान, सुधारात्मक और कल्याणकारी संस्थानों का भी दौरा किया।

6 से 8 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष मॉनिटर डॉ. पूनम मालकोंडैया ने गुजरात के वडोदरा जिले का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

11 से 18 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री उमाकांत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों का दौरा कर मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों से संवाद किया तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं। उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के अधिकारियों से भी संवाद किया।

14 से 16 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री देवेंद्र सिंह धपोला ने मणिपुर के इम्फाल का दौरा किया। उन्होंने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के मशीनीकरण, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास तथा सिलिकोसिस से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग की परामर्श-सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम, जिला और राज्य स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और पुनर्वास उपायों के कार्यान्वयन का भी आकलन किया।

20 से 27 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, पापुम पारे, पूर्वी सियांग, पश्चिम कामेंग, अंजॉ और नामसाई जिलों के कई शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। इनमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 और 2, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और उसके छात्रावास, एनआईटी तथा ईटानगर के पास निरजुली स्थित नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ पूर्वी सियांग के पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शामिल थे। उन्होंने पापुम पारे जिले के बिन्नी यांगा राजकीय महिला महाविद्यालय के निदेशक/प्रधानाचार्य, अधिकारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ बैठकें भी कीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पश्चिम कामेंग जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज तथा नामसाई जिले में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुखों, अधिकारियों, संकाय सदस्यों एवं समिति के सदस्यों से संवाद किया।

23 से 28 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल ने हरियाणा के सोनीपत में विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने राई स्थित तहसील कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय, एक सरकारी विद्यालय, एक ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्र, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाओं तथा स्वास्थ्य एवं विधिक शिक्षा संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के अतिरिक्त संबंधित प्राधिकारियों एवं हितधारकों से भी संवाद किया।

25 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री आर. हेमंत कुमार ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागाँव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों का दौरा किया। उन्होंने जनजातीय अधिकारों, कल्याण एवं विकास संबंधी पहलों का आकलन किया। इनमें अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, वैधानिक संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी शामिल था।



▶ "राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री आर. हेमंत कुमार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल पुनर्वास केंद्र तथा संचालित एक वस्त्र कारखाने का दौरा करते हुए"

25 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री धनंजय टिंगल ने राजस्थान के जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर जिलों का दौरा किया। उन्होंने राज्य एवं जिला अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से मुक्त कराए गए व्यक्तियों से बैठकें कीं। उन्होंने बाल देखभाल संस्थानों का भी दौरा किया और बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उनसे निपटने के उपायों की समीक्षा की।

26 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर डॉ. प्रदीप्ता कुमार नायक ने मेघालय के री-भोई, पूर्वी खासी हिल्स (शिलांग) और पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स (मैरींग) का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संबंधित परामर्श-सिफारिशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायों और कुष्ठ रोगियों की बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने जिला एवं राज्य प्राधिकारियों से मुलाकात की और अस्पतालों का भी दौरा किया।

27 से 29 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री देवेंद्र सिंह धपोला ने तमिलनाडु के चेन्नई का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्श-सिफारिशों और नमस्ते (NAMASTE) योजना के कार्यान्वयन, सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास उपायों तथा भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी पहलों, जिनमें स्माइल (SMILE) परियोजना भी शामिल है, की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम, राज्य सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

27 से 31 अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री बलकृष्ण गोयल ने राजस्थान के जयपुर और ब्यावर जिलों का दौरा किया। उन्होंने पर्यवेक्षण गृहों, सुरक्षित स्थानों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, वन स्टॉप सेंटरों, जेलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, वृद्धाश्रमों, विद्यालयों और महिला पुलिस थानों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का आकलन किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को मानव अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता विकसित करने का अधिदेश प्राप्त है। इस उद्देश्य से, इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आयोग विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अनेक क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। इनमें परिचयात्मक दौरे और मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आयोग की पहुँच का विस्तार करना तथा विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है।

सहयोगात्मक जागरूकता पहल

अक्टूबर 2026 के दौरान निम्नलिखित सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 27 अक्टूबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रासासुब्रमण्यन ने "सुरक्षित बचपन: जागरूकता से कार्रवाई तक—बाल अधिकारों और संरक्षण तंत्र पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती विश्वविद्यालय के यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ लॉ के मानव अधिकार अनुसंधान केंद्र के सहयोग से किया था।



- 28 अक्टूबर 2026 को, महाराष्ट्र के नागपुर स्थित स्वर्गीय डॉ. हरिभाऊ अडमाने कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सावनेर ने "अपने अधिकार जानें, स्वयं को सशक्त बनाएँ" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।



- 28 अक्टूबर 2026 को, तेलंगाना के करीमनगर स्थित श्री चैतन्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने "मानव अधिकार : महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।



ज्ञानर्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों और उनके संकाय सदस्यों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत उन्हें आयोग का दौरा करने हेतु आमंत्रित करता है, ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार आयोग के कामकाज से परिचित हो सकें। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें जानकारी दी जाती है। इनमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री युवराज, उप-रजिस्ट्रार (विधि) श्री

स्पर्श अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री संजीव शर्मा, सहायक पंजीयक (विधि) सुश्री अंजनी लता और सुश्री साक्षी श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक श्री कुलबीर सिंह तथा अनुभाग अधिकारी श्री अमित शर्मा शामिल हैं। अक्टूबर 2026 में निम्नलिखित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया:



- दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स के 57 विद्यार्थियों और 2 संकाय सदस्यों का समूह।



- पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के 57 विद्यार्थियों और 2 संकाय सदस्यों का समूह।



- जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के शैक्षिक अध्ययन विभाग के 51 विद्यार्थियों और 2 संकाय सदस्यों का समूह।



- बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के 25 विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों का समूह।



- हरियाणा के गुरुग्राम स्थित के. आर. मंगलम विश्वविद्यालय के 35 विद्यार्थियों और 3 संकाय सदस्यों का समूह।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। इन प्रयासों के अंतर्गत, विभिन्न देशों के संस्थागत प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आयोग का दौरा करते हैं और उसके अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं, ताकि आयोग के अधिदेश, कार्यप्रणाली तथा मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए की जा रही पहलों की जानकारी प्राप्त कर सकें। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों एवं कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ताकि आयोग के अनुभवों और उपलब्धियों को साझा किया जा सके, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके तथा तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरती मानव अधिकार चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

ऑनलाइन सहभागिता

- 21 अक्टूबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री प्रेरणा हसीजा ने व्यापार एवं मानव अधिकार पर GANHRI कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

- 14 अक्टूबर 2026 को, निदेशक सुश्री सात्विषा समाजदार और अनुसंधान परामर्शदाता सुश्री स्तुति जोशी ने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य वृद्धजनों के मानव अधिकारों से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर भारत की राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करना और उसे तैयार करना था, ताकि उनके अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और पूर्ण उपभोग को सुनिश्चित किया जा सके।

पुरस्कार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ऑनलाइन मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी-2026 के विजेताओं की घोषणा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपने 33वें स्थापना दिवस समारोहों के अंतर्गत माईगव (MyGov) के सहयोग से 1 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक 'मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी-2026: जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का उत्सव' आयोजित की। इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य सभी लोगों को मानव अधिकारों , मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 तथा देशभर में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना था।

इस प्रश्नोत्तरी में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसे कुल 1,67,127 बार देखा गया और 26,459 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। अधिकांश प्रविष्टियाँ 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों की थीं। राज्यवार सहभागिता में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे।

इस विशेष रूप से तैयार की गई मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतिभागियों को मानव अधिकारों के संबंध में अपने ज्ञान का आकलन करने, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की प्रगति के महत्वपूर्ण पड़ावों को जानने तथा समानता, गरिमा, न्याय और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों की अपनी समझ को और सुदृढ़ करने का अवसर मिला।

प्रथम पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये सुश्री आरती महाजन ने जीते। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये सुश्री रितिका को तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये सुश्री तूबा बेनज़ीर को प्रदान किए गए। प्रत्येक 2,000 रुपये के सात सांत्वना पुरस्कार श्री आदित्य गुप्ता, श्री तरुण, सुश्री रानी मंडल, श्री बसंत कुमार महतो, श्री लिखित कुमार ए., सुश्री दीपिका मदासु और श्री गमित रुत्विक कुमार जितेंद्रभाई को प्रदान किए गए।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानवीय जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उनसे जुड़ी बदलती चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया बना हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें व्यापक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने

और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को विधायिका और न्यायपालिका जैसी सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ-साथ सक्रिय एवं सतर्क मीडिया से भी बल मिलता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग देशभर में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, कई राष्ट्रीय आयोग अपने समकक्ष राज्य स्तरीय निकायों के सहयोग से समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये संस्थाएँ मिलकर महत्वपूर्ण निगरानी निकायों के रूप में कार्य करती हैं और जवाबदेही, न्याय तथा समावेशी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करती हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य विभिन्न राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने तथा समाज में गरिमा, न्याय और समानता की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलों को सामने लाना है।

त्रिपुरा राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रिपुरा राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण तथा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल करता रहा है।

केंद्रीय संशोधनागार, बिशालगढ़ में एक विचाराधीन कैदी की अभिरक्षा में मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मामले में, त्रिपुरा राज्य मानव अधिकार आयोग ने अक्टूबर 2026 में चिकित्सा, फोरेंसिक और मजिस्ट्रेटी जाँच प्रतिवेदनों की समीक्षा की। मृतक के विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक पाए जाने के बाद आयोग ने अभिरक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। अतः आयोग ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक जाँच, लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और आगे की जाँच की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, पीड़ित के निकटतम परिजनों को 3 लाख रुपये की मौद्रिक राहत देने की भी सिफारिश की। आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि सुधारात्मक संस्थानों में सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

एक अन्य मामले में, त्रिपुरा राज्य मानव अधिकार आयोग ने पाया कि 75 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता वाले एक व्यक्ति का फोटो अनजाने में समाचार पत्रों में उन लोगों के साथ प्रकाशित हो गया, जिन्हें आदर्श नगर पुलिस थाने में नशीले पदार्थों से संबंधित परामर्श के लिए हिरासत में लिया गया था। इससे गलत रूप से यह संकेत मिला कि वह व्यक्ति भी नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल था। आयोग ने पाया कि पुलिस की गंभीर चूक के कारण उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा का उल्लंघन हुआ। आयोग ने त्रिपुरा सरकार को उसे 1 लाख रुपये की राहत प्रदान करने, आधिकारिक अभिलेखों में सुधार करने तथा पुलिस हिरासत और मीडिया संबंधी प्रक्रियाओं में आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने की सिफारिश की।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अक्टूबर 2026 में, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने टीकमगढ़ में जिला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों की रक्षा सुशासन और समग्र विकास का आधार है। उन्होंने अधिकारियों से जनहित के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने, मृतक पीड़ितों के परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाने, स्वच्छ पेयजल संबंधी बुनियादी ढाँचे की नियमित निगरानी करने तथा स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं की देखरेख करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति पर भी चर्चा की।

माह के दौरान आयोग के हस्तक्षेप और निरंतर सुनवाई के माध्यम से तीन मृतक पीड़ितों के निकटतम परिजनों को कुल 37 लाख रुपये की मौद्रिक राहत वितरित की गई। सक्रिय हस्तक्षेप से जनहित और व्यक्तिगत शिकायतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों का भी समाधान हुआ। बैतूल जिले में आयोग की पूछताछ के बाद अस्पताल प्राधिकारियों ने प्रवेश द्वार के पास मौजूद खतरनाक गड्ढों की मरम्मत कराई। इसी प्रकार, खंडवा जिले में आयोग द्वारा एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करने और आधिकारिक प्रतिवेदन माँगने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उसकी मासिक सरकारी वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू कर दी।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

अक्टूबर 2026 में, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन की तीन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक महिला की गलत आँख की शल्य चिकित्सा, पब्बेर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में लगभग 50 छात्राओं का खाद्य विषाक्तता से प्रभावित होना तथा संगारेड्डी जिले में सराका लैबोरेटरीज लिमिटेड में क्लोरोफॉर्म वाष्प के रिसाव से दो श्रमिकों की मृत्यु की घटनाएँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग ने एनआईएमएस (NIMS) के निदेशक को एक व्यक्ति के लंबित पेंशन संबंधी लाभ तीन सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।

हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अक्टूबर 2026 में, हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के 92 मामले दर्ज किए और 30 मामलों का निस्तारण किया। आयोग ने पीड़ितों अथवा उनके निकटतम परिजनों को राहत के रूप में 24.75 लाख रुपये देने की भी सिफारिश की।

संक्षेप में समाचार

- दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगि ने ओडिशा के नयागढ़ जिले के अप्सरा मंडप में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन किया।

- उन्होंने वृद्धजनों के अधिकारों एवं उनके कल्याण की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वृद्धजन अपने परिवार, समाज और राज्य से सम्मान, देखभाल, सुरक्षा एवं संवेदनशील व्यवहार के हकदार हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से वृद्धजनों के लिए एक समावेशी एवं आयु-अनुकूल समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।





- 23 अक्टूबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रासासुब्रमण्यन ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन से भेंट की और उनसे 10 दिसंबर 2026 को मानव अधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

- 24 अक्टूबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन षड़ंगि ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित भागीदारी भवन, गोमती नगर में मुख्य अतिथि के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मानव अधिकारों , संवैधानिक मूल्यों तथा मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता के महत्व पर विचार व्यक्त किए।

  उन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित करने तथा मानव अधिकारों के



संरक्षण एवं संवर्धन में लोक प्राधिकारियों के तदनुरूप कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि मानव अधिकार संरक्षण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संवेदनशीलता, जवाबदेही और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है, विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए। उन्होंने संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, हितधारकों को संवेदनशील बनाने तथा शासन एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में मानव अधिकार - उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की भूमिका पर भी बल दिया।

- 25 अक्टूबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने मानव अधिकार भवन में अपने कर्मचारियों, जिनमें संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं, के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता तीन श्रेणियों में आयोजित की गई: कक्षा तीन तक के बच्चे, कक्षा चार से सात तक के बच्चे तथा कक्षा आठ से बारह तक के बच्चे। कुल 82 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जिनमें 78 बच्चों ने भाग लिया। चित्रों का मूल्यांकन दो सदस्यीय निर्णायक मंडल ने किया, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उप-रजिस्ट्रार श्री मुकेश और उप सचिव सुश्री विनीता ओट्टापरक्कल कल्लाडा शामिल थीं।



आगामी कार्यक्रम

10 दिसंबर 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे।

14 दिसंबर 2026 से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक माह का प्रत्यक्ष इंटर्नशिप कार्यक्रम आरंभ करेगा।

अक्टूबर 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	6,582
निपटाए गए मामलों की संख्या, जिनमें पुराने मामले भी शामिल हैं	4,425
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	42,531

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी



सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC @NationalHumanRightsCommission

RNI No. 61957/95